

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID :- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

//परिषद् की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक - 13.07.2022//

प्रस्ताव क्र.- 02 :- शासकीय हॉस्पिटल समीप निर्मित दुकानों से प्राप्त उच्चतम बोली राशि की स्वीकृति।

शासकीय हॉस्पिटल समीप निर्मित 09 दुकानों की आम नीलामी दिनांक 18 व 19 04.2022 को नियमानुसार नियत समय में कार्यालय सभागार कक्ष में पर की गई, जिसमें से 04 दुकानों सर्वोच्च बोली राशि प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बोलीदाता का नाम	दुकान क्र.	सरकारी बोली	प्राप्त उच्चतम बोली	जमा धरोहर राशि
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेन्द्र कुमार बंछोर, पिता-श्री ताराचंद बंछोर, निवासी-नारधी, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	10	7,13000/-	12,50,000/-	71,000/-
2.	श्री विराग जसानी, पिता-श्री विजय कुमार जसानी, निवासी-उत्तर वसुन्धरा नगर, पानी टंकी के पास, भिलाई-03	11	7,13000/-	12,60,000/-	71,000/-
3.	श्रीमती सिंधु सांवलकर, पति-श्री योगेश सांवलकर, निवासी-मानसरोवर कालोनी, भिलाई-03	12	7,13000/-	12,25,000/-	71,000/-
4	श्री अब्दूल फरीद खान, पिता-श्री अब्दूल शरीफ खान, निवासी - विश्व बैंक कालोनी, भिलाई- 03, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	13	7,13000/-	12,75,000/-	71,000/-
5.	श्री लक्ष्मण नत्थानी, पिता-विष्णुमल नत्थानी, निवासी-उत्तर वसुन्धरा नगर भिलाई-03, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	15	7,13000/-	12,61,000/-	71,000/-
6	श्री नीरज वैद्य, पिता-श्री आर.आर. वैद्य, निवासी-मानसरोवर कालोनी, भिलाई-03, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	16	7,13000/-	12,66,000/-	71,000/-
7.	श्री नीरज वैद्य, पिता-श्री आर.आर. वैद्य, निवासी-मानसरोवर कालोनी, भिलाई-03, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	17	7,13000/-	12,70,000/-	71,000/-
8	श्री महेन्द्र कुर्रे, पिता-श्री हरिशचन्द कुर्रे, निवासी-ग्राम ओखरा, पो.-नारधा कुर्रेपारा, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	18	7,13000/-	12,31,000/-	71,000/-

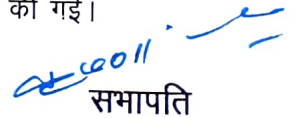
उपरोक्तानुसार आम नीलामी से प्राप्त सर्वोच्च बोली राशि की स्वीकृति हेतु एम. आई.सी. की बैठक में रखे जाने प्रस्तुत है।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, सक्षम स्वीकृति हेतु परिषद् की बैठक में रखे जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई।

संकल्प क्र.- 02 :-

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा उपरान्त, आम नीलामी से प्राप्त सर्वोच्च बोली राशि की सक्षम स्वीकृति हेतु शासन के पत्र क्र.एफ 8-3/2022/18 दिनांक 25.05.2022 द्वारा कलेक्टर दुर्ग को संपत्ति अंतरण नियम 1994 के अधिकार सौंपे गये। सक्षम स्वीकृति हेतु कलेक्टर दुर्ग को भेजे जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई।


सचिव


सभापति

//परिषद् की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक - 13.07.2022//

प्रस्ताव क्र.- 03 :- अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गणना की समीक्षा बाबत ।

छ.ग.क्वाटिफिकेबल डाटा आयोग रायपुर द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डों में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गणना हेतु सर्वेक्षण समिति का गठन किये जाने हेतु छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-13-9/2019/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 31.08.2021 एवं कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के आदेश क्रमांक /2006 दुर्ग दिनांक 02.03.2022 को आदेशानुसार सर्वेक्षण समिति गठन किया गया, जो निम्न है :-

1. अध्यक्ष - कलेक्टर जिला दुर्ग ।
2. सदस्य सचिव - आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा ।
3. सदस्य - श्री डी.एस.वर्मा ,जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी दुर्ग ।

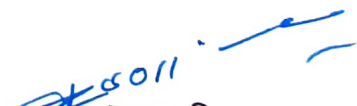
उक्त डाटा संग्रहण कर वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 13.05.2022 तक किया गया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन कुल 53,383 व राशन कार्ड डाटा अनुसार कुल शहरी ओ.बी.सी. संख्या 50,570 है एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का आवेदन 3,287 है, जिसका नियमानुसार सत्यापन कर, प्रारंभिक प्रकाशन हेतु दिनांक 13.05.2022 तक दावा आपत्ति हेतु दैनिक समाचार पत्र एवं सूचना फलक पर चस्पा किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है ।

उपरोक्त समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार मेयर-इन-काउंसिल की अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।
प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, अन्य पिछड़ावर्ग हेतु कुल आवेदन 53,383 व राशन कार्ड डाटा अनुसार कुल शहरी ओ.बी.सी संख्या 50,570 एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की संख्या 3,287 है। जिस पर निर्धारित दिनांक तक किसी प्रकार की दावा आपत्ति अप्राप्त है। अनुमोदन हेतु प्रकरण परिषद् में प्रस्तुत ।

संकल्प क्र.- 03 :-

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।


सचिव


सभापति

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

//परिषद् की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक - 13.07.2022//

प्रस्ताव क्र :-
04

मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के तहत निर्मित दुकान से प्राप्त उच्चतम बोली राशि की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना तहत निर्मित दुकानों की अलग-अलग तिथि में आम नीलामी नियमानुसार नियत समय व स्थल पर की गई, जिसमें निम्नानुसार सर्वोच्च बोली राशि प्राप्त हुए हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बोलीदाता का नाम	दुकान क्र.	आरक्षण	आपसेट प्राईज	प्राप्त उच्चतम बोली	जमा धरोहर	जमा एक चौथाई
1	2	3	4	5	6	7	8
दिनांक 08.06.2022							
1.	श्री आकाश चौधरी	30	मुक्त	8,00,030.00	10,20,000.00	80,000.00	2,55,000/-
दिनांक 10.06.2022							
2	श्रीमती वैशाली	23	मुक्त	7,89,526.00	10,02,000.00	78,950.00	2,50,500/-
3	श्री सुमीत गुप्ता	70	मुक्त	8,23,000.00	10,00,000.00	82,300.00	2,50,000/-
4	श्री सुमीत गुप्ता	09	मुक्त	8,00,030.00	12,60,000.00	80,000.00	3,15,000/-
5	श्रीमती पूजा गुप्ता	68	मुक्त	8,00,030.00	10,03,000.00	80,000.00	2,50,750/-
6	श्रीमती सीमा मौर्य	10	अ.पि.व.	8,00,030.00	12,60,000.00	80,000.00	3,15,000/-

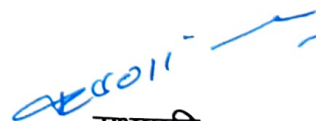
अतएव उपरोक्त सर्वोच्च बोली से प्राप्त दुकानों की स्वीकृति एम.आई.सी. की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है, ताकि सक्षम स्वीकृति हेतु छ0ग0 शासन को भेजा जा सके।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, निगम आधिपत्य की मुख्यमंत्री पालिका बाजार उत्तर वसुधरा नगर के दुकानों की आम नीलामी से प्राप्त उच्चतम बोली की सक्षम स्वीकृति हेतु परिषद् में विचारार्थ रखने की अनुशंसा सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

संकल्प
क्र.- 04

:- प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, चर्चा उपरांत मुख्यमंत्री पालिका बाजार उत्तर वसुधरा नगर के दुकानों की आम नीलामी से प्राप्त उच्चतम बोली की सक्षम स्वीकृति हेतु शासन के पत्र क्र.एफ 8-3/2022/18 दिनांक 25.05.2022 द्वारा कलेक्टर दुर्ग को संपत्ति अंतरण नियम 1994 के अधिकार सौंपे गये। सक्षम स्वीकृति हेतु कलेक्टर दुर्ग को भेजे जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई।


सचिव


सभापति

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gamil.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

//परिषद् की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक - 13.07.2022//

प्रस्ताव क्र. - 05 :-

विश्वबैंक आवासीय योजना घासीदास नगर भिलाई 03 में निगम स्वामित्व की भूमि पर राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण के संबंध में।

कलेक्टर दुर्ग की ज्ञापन क्र. /69/मुख्यमंत्री घोषणा/2022/दुर्ग दिनांक 11.03.2022 में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा तहत कुंदरापारा से बेदखल परिवारों को विश्व बैंक आवासीय योजना, भिलाई-03, सेक्टर 04, घासीदास नगर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा दिये जाने के निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग एवं निगम कर्मचारी द्वारा की गई हितग्राहियों सर्वे सूची संलग्न कर, आगामी MIC की बैठक में विचारार्थ रखा जाना प्रस्तावित है।

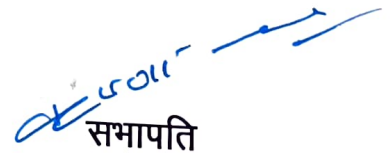
प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की घोषणा अनुसार कुन्दरा पारा भिलाई 03 के विस्थापितों को तत्समय निगम स्वामित्व की भूमि पर साडा कार्यकाल में घासीदास नगर विश्वबैंक आवासीय योजना में बसाया गया था, इन्हें राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा दिये जाने हेतु परिषद् में विचारार्थ रखे जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई।

संकल्प क्र. - 05 :-

प्रकरण पर चर्चा उपरान्त पट्टा प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।



सचिव



सभापति